संख्या-102/2021/953/22-4-2021-48(43)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 02 नवम्बर, 2021

विषयः- प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ड्रोन कैमरों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16475/आधु-1/ड्रोन कैमरा/2021-22, दिनांक-12 जुलाई, 2021 एवं 21174/आधु-1/ड्रोन कैमरा/2021-22, दिनांक-16 अगस्त, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की 10 संवेदनशील कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 01-01 अद्द ड्रोन कैमरों की व्यवस्था कराये जाने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु 69.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत की शतप्रतिशत धनराशि रू0 69,00,000/- (रूपया उन्हत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्तावित ड्रोन की संख्या	अनुमानित प्रति लागत	अनुमानित कुल लागत
1	2	3	4	5
1	केन्द्रीय कारागार,बरेली	01	690000	690000
2	जिला कारागार, मुरादाबाद	01	690000	690000
3	जिला कारागार, गाजियाबाद	01	690000	690000
4	जिला कारागार, बुलन्दशहर	01	690000	690000
5	जिला कारागार, मुजफ्फरनगर	01	690000	690000
6	जिला कारागार, कानपुर नगर	01	690000	690000
7	केन्द्रीय कारागार, नैनी	01	690000	690000
8	जिला कारागार, बांदा	01	690000	690000
9	केन्द्रीय कारागार, आगरा	01	690000	690000
10	जिला कारागार, वाराणसी	01	690000	690000
	योग-	10		6900000

(1) उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/ सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जैम) के माध्यम से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में की गयी निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/ महानिरीक्षक, कारागार संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणों का क्रय न किया जाय।

(5) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक-31.03.2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-207(ई0ओ0)/दस-2021, दिनांक-01.11.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-102/2021/953/22-4-2020, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in